6/8/24 - पत्रावलि प्रस्तुत हुई। प्रकरण में प्रविष्ट-पत्र पर नियत तारीख पर्ची पर बहस सुनी गयी थी। प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र इस आशय का प्रस्तुत किया था कि विवादित खातेदारी ख.नं. 291 रकबा 0.53 है० वाके ग्राम बेहरोज, तह० कोटकासिम ... प्रार्थी सं० 1 लगा. 11 के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज है और वादी/प्रार्थी का उक्त खातेदारी पर कब्जा मुतालबाना है आधार पर खातेदार घोषित करके राजस्व रिकार्ड में इस प्रकार इंद्राज करवाने का अधिकारी है अन्य खा.ख.नं. 293/0.22, 294/0.22, 296/0.23 655/0.14 वाके ग्राम जलालपुर ...

सहायक कलक्टर (फा...)
(उपखण्ड-तिजारा)

न्यायालय सहायक कलेक्टर मुण्डावर (प्रा.) हारुन बनाम जुम्मी वगै० 22.11

हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज

नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तामील में जारी हुए

खातेदारी की जाटानी है। जिसके बाबत प्रार्थीगण को नाजायज कब्जा फायदा किया जावे कि वे बिना प्रार्थी के हिस्से पर जबरन कब्जा नहीं करे, ना ही प्रार्थी को जाटानी से बेदखल करे, ना ही जाटानी को किसी अधिक तकासमा कराये कहीं रहन, बेचान, हिबा इत्यादि से मुंतकिल न करे ना ही प्रार्थी को काश्त कार्य, फसल बोने व काटने में मजाहमत पैदा करे व अप्रार्थी सं० 12 व 15 को पाबन्द किया जावे कि वो विवादित जाटानीयात के कोई दस्तावेजात पंजीबद्ध नहीं करे व मौके पर एवं राजस्व रिकार्ड की यथास्थिति बनाये रखें।

अप्रार्थीगण ने जवाब प्रस्तुत किया है कि आराजी खसरा सं० 270 व 271 में वर्णित जाटानी में प्रार्थी का 1/12 भाग रहा है शेष भाग शेष अप्रार्थीगण/प्रतिवादीगण खातेदारान का है। इस जाटानी का बाहमी बटवारा होकर सभी खातेदारान अपने-अपने हिस्सानुसार काबिज काश्त है तथा जाटानी ख.नं. 271 पर प्रार्थी व प्रार्थी के पूर्वज कभी काश्त नहीं रहे हैं कथन जाटानी प्रतिवादीगण की है और इसका भी हम प्रतिवादीगण खातेदारान के मध्य बाहमी बटवारा हो रहा है और उसी अनुसार काबिज काश्त है। प्रार्थी व अप्रार्थीगण के हिस्से की जाटानी पर

सहायक कलक्टर (फा०ट्रै०)
मुण्डावर (खैरथल-तिजारा)

न्यायालय सहायक कलेक्टर, मुण्डावर प्रा.पत्र 212
हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज
हाइन बनाम जुम्मी वगै॰ 12/4/14

जबरन कब्जा करना चाहते है तथा हम प्रतिवादीगण को बेजा दबाव में लाने के लिए उक्त दावा किया तथ्यों के आधार पर अदालत श्रीमान में पेश किया है। अतः जवाब प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन है कि प्रार्थी का प्रा०पत्र मय हर्जा खर्चा खारिज फरमाया जावे।

प्रार्थना पत्र पर विद्वान अधिवक्तागण की बहस सुनी गयी। प्रार्थी अधिवक्ता ने प्रार्थना पत्र के कथनों को दोहराया तथा मुख्यतः कथन किया कि वे आराजी ख॰नं॰ 291 पर मुवलमाना कब्जे के आधार पर खातेदारी के अधिकारी है। यह भी कथन किया कि वे आ.ख.नं. 291 पर इकरारनामा के जरिये काबिज है और शेष ख॰नं॰ में सहखातेदार है। आराजी बहरोड रोड पर लगती हुई है जिसे अप्रार्थीगण बेचान करना चाहते है जिसके होने से लागते मेरे हिस्से का नुकसान होगा। हिस्सा विशेष का उल्लेख कर बेचान न करने दिया जावे। विधिवत तकासमा तक आराजी स्थिति को संरक्षित किया जावे।

अधिवक्ता अप्रार्थीगण ने अपने जवाब प्रा०प. को दोहराते हुए मुख्यतः कथन किया कि मुझे घरेलू आवश्यकता के लिए आ अर्जेन्ट है के लिए मेरी स्वयं की हिस्से हमारे

सहायक कलक्टर (फा०ट्रै)
मुण्डावर (खैरथल-तिजारा)

हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
न्यायालय सहायक कलेक्टर मुण्डावर प्रा. 212 हाकिम बनाम जुम्मी वगै० (11.2.2024)	

...दानी को बेचान करना बहुत
...ती है हम केवल हमारे हिस्से का
...करी करना चाहिये है जबकि प्रार्थी का
बेचान ... दिया है और शेष हमारा
केवल 1/12
... हमने हमारे हिस्से कि दानी को
... जरूरत के लिए बेचने का मन
घरेलू ... तो प्रार्थी ने यह प्रा.प. लगाकर
बनाया ... बेचान अटका दिया जो न्यायसंगत
हमारा ... है क्योंकि प्रार्थी दबाव बनाकर
नहीं ... दानी को औने-पौने दामों पर
इस ... हमसे जबरदस्ती लेना चाहता है
विवश कर ... 291 के हम खातेदार हैं
आ. ख. नं. ... जिसमें प्रार्थी का कोई नाम अथवा लेना
देना नहीं है न ही कोई इकरारनामा
है होता तो पेश किया जाता। इस
ख. नं. बाबत न्यायालय को गुमराह
कर अंतरिम अस्थायी निषेधाज्ञा प्राप्त की
गयी है हमें हमारे हिस्से की दानी
के बेचान इत्यादि से पाबंद न किया
जावे किसान के पास घरेलू आवश्यकता
पूर्ति हेतु जमीन ही होती है जिससे वह
अनेक घरेलू व्यवस्थाएं करता है। अतः
अंतरिम अस्थाई निषेधाज्ञा का आवेदन का
प्रा.प. खारिज किया जावे।

पत्रावलि का अवलोकन किया। बहस
पर मनन किया। इसके उपरान्त यह
न्यायालय यह पाता है कि आ.ख.नं.
291 वाके ग्राम ... तह. मुण्डावर में

सहायक कलक्टर
मुण्डावर (खैरथल-तिजारा)

तारीख हुकम	न्यायालय सहायक कलेक्टर मण्डावर हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज हादन बनाम जुम्मा वगै०	प्र. प. 212 R.T. Act
	प्रथमदृष्टया कोई हक, इकूत प्रतीत नहीं होने से साक्षी का इस ख.न. पर राजस्व रिकार्ड में भी अंकन नहीं है। इसी प्रकार शेष खातेदारी खसरा में साक्षी का भाग 1/12 हिस्सा है इस प्रकार किसी काश्तकार खातेदार को अपनी आवश्यकताओं की पूर्ती हेतु अपने हिस्से की खातेदारी को तथा जो केवल उनके नाम दर्ज है को बेचान करने को रोका जाना न्यायसंगत नहीं है। परन्तु यह भी युक्तिसंगत नहीं है कि बिना विधिक तकासमा खरीददार अजनबी क्रेता खातेदारी पर काबिज हो।	
	अतः अस्थायी दिनांक 30/5/24 को समाप्त करते हुए इस मामला पत्र बाबत धारा-212 राज. काश्त अधिनियम पर इस प्रकार से आदेश जारी किया जाता है कि "अप्रार्थीगण खा.ख.न. 291 वाके ग्राम कलीनपुर बाबत किसी प्रकार की अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द नहीं किये जाते हैं तथा खा.ख.न. 293, 294, 296, 155 वाके ग्राम कलीनपुर के अपने हिस्से की खातेदारी को हिस्सानुसार विक्रय कर सकेंगे परन्तु विक्रय-पत्र में किसी दिशा-विशेष का उल्लेख नहीं किया जा सकेगा। तथा अजनबी क्रेता खरीदी गई खातेदारी पर विधि विधिक	

सहायक कलक्टर (फा०)
मण्डावर (खैरथल-तिजारा)

नम्बर व तारीख जो इस हुक्म की में जारी हुए	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जजे	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	न्यायालय सहायक कलक्टर मुण्डावर दाकन बनाम जुम्मी वगै० सा.प. शा/ भ.रा.अ.	
	एकासमा करावाये बगैर प्रवेश नहीं करेगा।" इस प्रकार इस वाद को तदनुसार निर्णय पारित किया जाता है। निर्णय आज दिनांक 6/8/24 को मेरे द्वारा लिखा जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया। पत्रावलि मूल पत्रावलि के साथ संलग्न हो तथा नम्बर से कम हो। [signature] सहायक कलक्टर (फा०ट्रै०) मुण्डावर (खैरथल-तिजारा)	